भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 678
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: सूखे से प्रभावित किसानों की दशा पर सर्वेक्षण
678. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेलः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या उत्तर प्रदेश के बांदा एवं चित्रकूट जिलों में सूखा, वर्षा में कमी और जल संकट से प्रभावित किसानों की दशा के संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण या मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, फसल विविधीकरण तथा ज्वारीय फसलों और प्राकृतिक खेती के प्रचार-प्रसार हेतु कोई विशेष योजनाएँ शुरू की गई हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बांदा एवं चित्रकूट क्षेत्रों के किसानों को विशेष पैकेज या सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने इन उपायों के संभावित प्रभावों का किसानों की आय, कृषि उत्पादकता एवं क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आकलन किया है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सूखा, भारी वर्षा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, राज्य कृषि विभाग और राज्य राजस्व विभाग द्वारा खेतों का सर्वेक्षण किया जाता है। तत्पश्चात, सरकारी आदेशों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, किसानों को राहत प्रदान की जाती है या पीएमएफबीवाई के अंतर्गत आने वाले किसानों को तदनुसार सहायता प्रदान की जाती है। बांदा अथवा चित्रकूट में सूखे की स्थिति नहीं है।

(ख) से (ङ): वित्तीय वर्ष **2015-16** में भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य खेतों में पानी की वास्तविक उपलब्धता बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सतत जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना आदि था। हर खेत को पानी (एचकेकेपी) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का ही एक घटक है। सतह लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार (आरआरआर) योजना अब पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी का हिस्सा बन गई हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, एसएमआई और जल निकायों के आरआरआर योजनाओं के तहत सिंचाई क्षमता (आईपी) के सृजन और जीर्णोद्धार के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष **2021-22** से वित्तीय वर्ष **2025-26** तक पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी योजना को जारी रखने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर **2021** में दी थी। इसके लिए **4580** करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था तथा जल निकायों की एसएमआई और आरआरआर योजनाओं के तहत **4.50** लाख हेक्टेयर की लक्षित सिंचाई क्षमता निर्धारित की गई थी। इसके फलस्वरूप, जनवरी **2025** में, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) ने पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत जल निकायों के घटकों एसएमआई और आरआरआर के लिए अतिरिक्त **900** करोड़ रुपये के आवंटन की सूचना दी है।

किसानों की आय, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, बांदा और चित्रकूट दोनों जिलों में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार बांदा और चित्रकूट जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) - मोटे अनाज और एनएफएसएनएम - पोषक अनाज योजना लागू कर रही है।
